आनवान गुलाब देवी बनाम श्रीराम व अन्य
वाद पत्र संख्या 046/2020

23.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। प्रार्थी रामप्रताप पुत्र श्री दूदाराम जाति बावरी निवासी 4 सी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुये कथन किये कि उक्त आनवान के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीया शान्ति देवी पुत्री सुखदयाल में अप्रार्थीया शान्ति देवी पुत्री सुखदयाल पत्नी रामप्रताप जाति बावरी की मृत्यु दिनांक 25.07.2021 को मुकाम 4 सी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर में हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। मृतक शान्ति देवी को कोई पुत्र–पुत्री संतान नहीं है। शान्ति देवी का एक मात्र वारिस अप्रार्थीया का पति रामप्रताप पुत्र श्री दूदाराम जाति बावरी निवासी 4 सी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर है इसके अलावा और कोई वारिस नहीं है। प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार क्षेत्र का अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शान्ति देवी के स्थान पर उसके पति रामप्रताप को वारिस बनाया जाकर अप्रार्थी के तौर पर नाम इन्द्राज किया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता वादी द्वारा कथन किये कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 07 शान्ति देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 03.08.2021, कार्यालय ग्राम पंचायत 4 सी बड़ी (ओडकी) पं0 सं0, श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रतिवादी संख्या 07 का वारिस सदस्य प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति प्रकट की गई। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 07 के स्थान पर प्रार्थी रामप्रताप पुत्र श्री दूदाराम जाति वावरी निवासी 4 सी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर को प्रतिवादी संख्या 7.1 के रूप में पक्षकारान संयोजित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 07 के नाम के आगे लाल स्याही से मृतक अंकित करते हुए प्रतिवादी सं0 7.1 का नाम लाल स्याही से अंकित किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.06.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:21:02 IST
Reason: SelfAttested